

## विद्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा, जयपुर, राजस्थान

क्रमांक: १०३५८ प्राप्ति नं। नं। ५/ प्रा-मान्यता / सम्बद्धता / आग.टो.इ. जयपुर परिचय, ५/११/२०१२ दिनांक: - ९/ १२

संग्रहीत गया

.....ज्ञानीर्वासिनी विद्यालय, जयपुर  
 .....बृहदीग्रन्थ परिचय, महावीर भवन  
 .....सौ. एची. बाणी

विषय: नियम ४ के कांडा आ-नियम ( 4 ) के अधीन विद्यालय के लिये मान्यता / सम्बद्धता प्रमाण पत्र।

आपको आवेदन दिनांक १०.१.१२ और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ किये गये परिचय वर्ती पत्र व्यवहार / निरीक्षण के संदर्भ में, ये .....ज्ञानीर्वासिनी विद्यालय, आग.टो.इ., जयपुर .....  
 .....( विद्यालय का नाम और पता ) .....

.....महावीर भवन, निरीक्षण की  
 .....१.४.१२ से .....- .....कक्षा ५/ .....  
 .....से ०९ तक के लिये .....मान्यता / सम्बद्धता पंजुर करता है।

उक्त मञ्ची निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अधार्थीन होगी:-

1. मान्यता के लिये मञ्ची विस्तारणीय नहीं होगी और किसी भी तरह कक्षा- ४ से आगे मान्यता / सम्बद्धता वर्ती कोई बाध्यता अन्वित नहीं होगी।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 ( 2009 का केन्द्रीय अधिनियम सं ३५ ) और सान्तव्यान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के उपर्याँ का पालन करेगा।
3. विद्यालय, कक्षा- १ में या, यथास्थिति, पूर्व विद्यालय कक्षा में 2009 के अधिनियम के अनुसार उस कक्षा की छात्र संख्या की सीमा तक आस-पड़ीस के कमजोर चर्चे और अभाव ग्रस्त समूह से सम्बन्धित बालकों को प्रवेश देगा और प्रार. शिक्षा की समाप्ति तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करावेगा।
4. पैरा-३ में निर्दिष्ट बालकों के लिये विद्यालयों का राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के उपर्याँ के अनुसरण में प्रतिपूर्ति की जायेगी। ऐसी प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक युथक दोक खाता रखेगा।
5. सोमायटी / विद्यालय कोई प्रति व्यवित्र फीस रांगहित नहीं करेगा और बालक या उसके माता-पिता या मंस्कक को किसी छंटाई प्रक्रिया का पात्र नहीं बनायेगा।
6. विद्यालय आयु के सबूत के अभाव में किसी बालक के प्रवेश से इनकार नहीं करेगा और 2009 के अधिनियम की धारा-१५ के उपर्याँ का पालन करेगा। विद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि:-


*Saur*  
 Mahaveer Public School  
 Jaipur


✓ १०१



- (i) विद्यालय में गोपन कियी जातक को विद्यालय में प्रतिक्रिया नहीं किया जायेगा ;  
किसी कक्षमें भेजा या विद्यालय में विकासित नहीं किया जायेगा ;
- (ii) कोई शास्त्रीय विद्युत या मानसिक उल्लेख का पात्र नहीं होगा ;
- (iii) किसी जातक में डाको प्रारंभिक शिक्षा की प्राप्ति तक किसी बोर्ड की परीक्षा उत्तीर्ण करना अवैधिक नहीं होगा ;
- (iv) प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने वाले प्रत्येक वालक को राजस्थान निःशुल्क और अनियार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के नियम 23 के अधीन यथा-अधिकृत प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा ;
- (v) 2009 के अधिनियम के उपचारों के अनुसार नियोगिता / विशेष आवश्यकता के विद्यार्थियों के सम्मिलित किया जाये ;
- (vi) अध्यापक, 2009 के अधिनियम की धारा 23 की उप-धारा ( 1 ) अधीन अधिकृत व्यूनतम अहताओं सहित भर्ती किये जाये ;  
परन्तु वर्तमान अध्यापक, जो 2009 के अधिनियम के प्रारम्भ पर व्यूनतम अहताएं नहीं रखते हैं, व 2009 के अधिनियम की धारा 23 के परन्तुके उपचारों के अनुसार, 5 चर्च की कालावधि के भीतर ऐसी व्यूनतम अहताएं अर्जित करेंगे ;
- (vii) अध्यापक 2009 के अधिनियम की धारा 24 की उप-धारा ( 1 ) के अधीन विनिर्दिष्ट उनके कर्तव्यों का निवेदन करते हैं; और
- (viii) अध्यापक एवं व्यूनतम अहताओं की अध्यापन क्रियाकलापों में नहीं लगायेंगे ।

7. विद्यालय, समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकृत पाठ्यक्रम के आधार पर पाद्यविवरण का अनुसरण करेंगे ।
8. विद्यालय, 2009 के अधिनियम की धारा 19 में यथा- विनिर्दिष्ट मान और मानकों का अनुरक्षण करेंगे ।  
अनियम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गयी सुविधाएं निम्नानुसार है :- ( संस्था के द्वारा प्रदत्त स्व स्वेच्छा पत्र - प्रपत्र 1 के अनुसार )
- विद्यालय परिसर का क्षेत्र
  - कुल निर्धारित क्षेत्र
  - खेत- कृद के पैदान का क्षेत्र
  - कंक्षालों का पर्यावरण की मंजूर्य
  - प्रधानाध्यापक एवं लायानियों एवं भाइरकश
  - लड़के और लड़कियों के लिये पुरुष-पुरुषक और महिला
  - पीने के पानी की सुविधा
  - गोड डे-पील पकाने के लिये स्थान

  
अध्यापक प्रमुख  
Mahaveer Public School  
JAIPUR

  
विवरण द्वारा दिए गए



11. विश्वास करें, कि ये व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिये नहीं बदल जाएगा।

12. किंवदं एकाउटेट हुआ लेखों की संपरीक्षा और उन्हें प्रमाणित किया जायेगा और नियमों के अनुसार दर्ज कर लेता निवरण तैयार किया जायेगा। प्रत्येक लेखा निवरण की एक प्रति, जिला प्रारंभिक शिक्षा विभागों को नोडल प्रधानाध्यापक के माध्यम से प्रतिरूप भेजी जायेगी।

13. इसके विवालय को आवंटित मान्यता/ सम्बद्धता कोड संभ्या (RJ/BEEO/JPR/WEST/2012-13/ 0001.....) है। कृपया इसे नोट किया जाये और इस कार्यालय के साथ पत्र व्यवहार के लिये इसे सत्त्वानुचित किया जाये।

14. विवालय, ऐसी रिपोर्ट और सूचना देगा जिनकी निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा/ जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी हुआ समय-समय पर अधेशा की जाये और राज्य सरकार/ स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे निदेशों का पालन करेंगे जो मान्यता की शर्तों को लगातार पूरा करने या विवालय कार्यकरण में त्रुटियों का इत्या जासा सुनिश्चित करने के लिये उनके हुआ जारी किये जायें।

15. सभायों के रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण, यदि कोई हो, सुनिश्चित करें।

A rectangular red ink stamp. The word "PRINCIPAL" is at the top in a bold, sans-serif font. Below it, "Vishvavaidik Public School" is written in a smaller, cursive script. A large, slanted signature, appearing to read "Anil", is written across the top left of the stamp.

10

~~150/-~~